



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]
No. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 1999/षष्ठे 28, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 1999/JYAISTHA 28, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 जून, 1999

सा.का.नि. 468(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 11 मार्च, 1999 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 167(अ), तारीख 11 मार्च, 1999 के हिन्दी पाठ के पृष्ठ 3 पर क्रम सं. 41 के सामने "सदस्य" के स्थान पर "सचिव" पढ़ें।

[फा. सं.-17-1/98-एस. डी.-IV]
गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th June, 1999

S.O. 468 (E).—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), number S.O. 167 (E) dated, the 11th March, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th March, 1999 at page 4.

In serial number 41 for "Under Secy" read "Secretary".

[F. No. 17-1/98-SD.IV]
GOVINDAN NAIR, Jt. Secy.